रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 1990/अग्रहायण 30, 1912
No. 555] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 1990/AGRAHAYANA 30, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1990

सा. का. नि. 995 (अ).—महापत्तन (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 1990 का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ड.) (ड.ड) और (ड.ड.ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप पर इस तारीख से साठ दिन की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा, जिसको राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है ।

प्रारुप नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 1990 है ।

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न महापत्तनों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

(3) ये सभी महापत्तनों को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(क) "अधिनियम" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) अभिप्रेत है,

(ख) "अनुमोदित" से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है,

(ग) किसी महापत्तन के संबंध में, "सक्षम प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त संरक्षक या किसी महापत्तन के न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी महापत्तन का कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है,

(घ) "अपमार्जक" से तालाबों, पैंदों या तेल अवशिष्ट वाले किन्हीं डिब्बों को साफ करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक उत्पाद अभिप्रेत है,

(ङ) "कूड़ा-कचरा" से अभिप्रेत है सभी प्रकार के ऐसे रसद घरेलू और प्रचालनीय अवशिष्ट जो किसी पोत के प्रसामान्य प्रचालन के दौरान प्रजनित हुए हैं और जिनका ऐसे पदार्थों को छोड़कर जो आई एम ओ कन्वेंशन के उपाबंध 1 से 4 में परिभाषित या सूचीबद्ध हैं, निरन्तर या कालिकत. व्ययन किया जाना है,

(च) "आई एम ओ कन्वेंशन" से समय-समय पर यथासंशोधित इन्टरनेशनल मेरीटाइम आर्गेनाइजेशन कन्वेंशन आन प्रिवेंशन आफ पौल्यूशन बाई शिप्स, 1973 अभिप्रेत है,

(छ) "अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मार्गदर्शन" से समय-समय पर यथासंशोधित इन्टरनेशनल चैंबर आफ शिपिंग, आयल कम्पनीज इन्टरनेशनल मेरिन फोरम आफ इन्टरनेशनल एसोसिएशन आफ पोर्टस एण्ड हार्बर्स द्वारा प्रकाशित तेल टैंकरों और टर्मिनलों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मार्गदर्शन अभिप्रेत है,

(ज) "तेल प्रदूषण के निवारण पर मैन्युल" से समय-समय पर यथासंशोधित इन्टरनेशनल मैरीटाइम आर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित तेल प्रदूषण के निवारण पर मैन्युअल, खण्ड 1 अभिप्रेत है,

(झ) "तेल" से किसी भी रूप में पेट्रोलियम (पेट्रो-रसायन से भिन्न जो आई एम ओ कन्वेंशन के उपाबंध II के उपबंधों के अध्यधीन हैं) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत आई एम ओ कन्वेंशन के उपाबंध 1 में सूचीबद्ध तेल, ईंधन, तेल स्लज प्रयुक्त और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद और पदार्थ है,

(ञ) "तेल मिश्रण" से किसी तेल की अन्तर्वस्तु से कोई मिश्रण अभिप्रेत है,

(ट) "तेल रिकार्ड अभिलेख पुस्तक" से किसी जलयान के मास्टर द्वारा रखी जाने वाली वह पुस्तक अभिप्रेत है जो आई एम ओ कन्वेंशन मे निर्दिष्ट है,

(ठ) "प्रदूषक" के अन्तर्गत वाहित मल कूड़ा-कचरा, मिट्टी, राख, पत्थर, गन्दगी, व्यर्थ पदार्थ कचरा, रासायनिक या कोई अन्य हानिकारक अथवा अभिष्टकारी पदार्थ है यदि इससे जल की प्रकृति, रंग, गन्ध या पारदर्शिता पर प्रभाव पड़ता हो या इससे जल पर दृश्य प्लवी अंश बनते हों,

(ड) "प्रदूषित करना" से जहाज पर से किसी तेल या प्रदूषक का निकास, विसर्जन या उसका फेंकना अभिप्रेत है,

(ढ) "टैंकर" से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जिसमें 'स्थोरा स्थल का अधिक भाग प्रपुंज द्रव स्थोरा के ले जाने के लिए बनाया जाता है या अपनाया जाता है और जो तत्समय अपने स्थोरा स्थल के उस भाग में तेल को छोड़ कर कोई स्थोरा नहीं ले जा रहा है ।

(ण) "टर्मिनल" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां तेल की लदाई-या उतारने के प्रयोजन के लिए टैंकरों का लंगर डाला जाता है या उन्हें बांधा जाता है,

(त) "टर्मिनल अभ्यर्थी" वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सक्षम प्राधिकारी ने किसी प्रचालन या ड्यूटी के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए इस रूप में पदाभिहित किया है,

(थ) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, और जो अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. जलयानों का प्रदूषक विसर्जित न करना :

नियम 11 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी जलयान किसी महापत्तन की सीमाओं के भीतर किसी प्रदूषक को न तो विसर्जित करेगा, न फेंकेगा, न रखेगा, न खाली करेगा या रिसने देगा अथवा न ही घाट, जेट्टी कम प्रोलघाट में गिराएगा ।

4. जलयानों द्वारा बैलास्ट या तेल मिश्रण विसर्जित न किया जाना :

(1) कोई जलयान किसी महापत्तन की सीमाओं के भीतर कोई बैलास्ट या तेल मिश्रण जिसमें तेल की अन्तर्वस्तु प्रति दस लाख 15 भागों से अधिक है, विसर्जित नहीं करेगा,

(2) ऐसे किसी बैलास्ट या तेल मिश्रण का, जिसमें तेल की अन्तर्वस्तु प्रति दस लाख 15 भागों से अनधिक होसक्षम प्राधिकारी की लिखित विशेष अनुज्ञा से, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रखते हुए जैसे अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट किए जाएं विसर्जन किया जा सकेगा :

5. तेल और डी बैलास्टिंग की साथ-साथ लदाई

जहां तेल और डीबैलास्टिंग का लदान साथ-साथ किया जाना हो वहां जलयान का मास्टर इस बात का समाधान करेगा कि लदान पाइप लाइन और बैलास्ट पाइप लाइनों के बीच पूर्ण प्रवृथित है और इस संक्रिया को किसी महापत्तन की सीमाओं के भीतर जल को प्रदूषित किए बिना किया जा रहा है ।

6. अपमार्जकों के प्रयोग का प्रतिषिद्ध होना:

कोई भी जलयान पैंदों या तेल के टैंकों को साफ करने के लिए किन्हीं अपमार्जकों का प्रयोग नहीं करेगा यदि जहाज के ऊपर विसर्जित की जाने वाली धोवन किसी महापत्तन की सीमाओं के भीतर तैलीय जल को अलग करने वाले उपस्कर या तेल फिल्टरकारी उपस्कर से अन्यथा की जाती है या उस को प्रदूषित करती है ।

7. टैंक की धोवन को जहाज के ऊपर विसर्जित न किया जाना :

कोई भी जलयान तेल टैंक को साफ करने की संक्रियाओं या किसी भी अन्य समय जहाज के ऊपर टैंक की धोवन का विसर्जन नहीं करेगा ।

8. जलयान द्वारा किसी तेल का विसर्जित न किया जाना :

कोई भी जलयान किसी महापत्तन की सीमाओं के भीतर किसी तेल या किसी अन्य ऐसे व्युत्पन्न का, जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, विसर्जन नहीं करेगा या उसे निकालने नहीं देगा ।

9. तैलीय पैंदों के जल का विसर्जित न किया जाना :

कोई भी जलयान किसी महापत्तन की सीमाओं के भीतर, सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, क्षेत्रीय पेंदों वाले जल या रसायनों वाले जल के किसी मिश्रण या किसी उपायकर पदार्थ का विसर्जन नहीं करेगा या उसे निकलने नहीं देगा ।

10. जलयानों का पूर्वाधानियों का पालन किए बिना लदान आदि न करना :

कोई भी जलयान तेल प्रदूषण निवारण मैन्युअल और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मार्गदर्शन में विनिर्दिष्ट पूर्वावधानियों का पालन किए बिना, किसी भी महापत्तन की सीमाओं के भीतर लदान, विसर्जन, परिवहन, बंकर, बैलास्ट या डीबैलास्ट नहीं करेगा ।

11. किसी भी महापत्तन पर तेल, आदि के विसर्जन की सूचना :

जहां किसी जलयान द्वारा किसी महापत्तन पर कोई तेल, जल या कोई प्रदूषक विसर्जित किया जाना हो, वहां वह सक्षम प्राधिकारी को इन

नियमों से उपाबद्ध-प्रारूप में कम से कम चौबीस घण्टे की सूचना देगा जिसमें वह उसमें समुचित ग्रहण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध करेगा।

12. किसी पत्तन में ठहरने के दौरान तेल स्थोरा पाइपलाइनों के साथ जुड़े समुद्री वाल्वों का मजबूती से बन्द किया जाना :

जलयान का मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी महापत्तन में जलयान के ठहरने के दौरान, तेल स्थोरा पाइपलाइन से जुड़े या जुड़ने योग्य सभी समुद्री वाल्वों और जहाज के ऊपर के वाल्व मजबूती से बंद हैं, बंधे हैं और सीलबंद हैं और ऐसे किसी वाल्व का उसके द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना और जलयान की तेल अभिलेख पुस्तक में उचित प्रविष्टि किए बिना प्रचालित नहीं किया जाएगा।

13. जलयान बंकरिंग :

कोई भी जलयान क्षेत्रीय बंकरिंग संक्रियाओं को आरंभ करने से कम से कम तीन घण्टे पूर्व अभिप्राप्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी महापत्तन में पाइप लाइन, बजरा, टैंकर लारी या किसी अन्य साधन से बंधक नहीं डालेगा।

14. स्थोरा और बंकर होज का निरीक्षण और प्रयोग :

किसी जलयान का मास्टर और टर्मिनल अभ्यर्थी, मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि जलयान से जोड़े जाने वाले स्थोरा और बंकर होज अनुमोदित किस्म और क्वालिटी के हैं जिस पर उस तारीख को प्रयोग के लिए विधिमान्य परीक्षण प्रमाणपत्र हो तथा मास्टर स्थोरा या बंकर होज के फट जाने के कारण हुए किसी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होगा।

15. होज रिक्त किया जाना :

किसी जलयान से होजों को हटाने से पूर्व, जलयान का मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सिरे ठीक प्रकार से रिक्त कर दिए गए हैं।

16. सुरक्षा जांच सूची

किसी जलयान के किसी महापत्तन में आगमन पर, ऐसे जलयान का मास्टर टर्मिनल अभ्यर्थी के साथ मिलकर, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मार्गदर्शन के अधीन अपेक्षित सुरक्षा जांच सूची का पालन करेगा और यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उक्त जांच सूची में उपबंधों का पालन किया गया है, तो वह जलयान के मास्टर को स्थोरा संक्रियाओं को आरंभ करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

17. प्रदूषण जांच सूची :

प्रत्येक जलयान तेल प्रदूषण निवारण मैन्युअल में यथा विनिर्दिष्ट प्रदूषण जांच सूची रखेगा और ऐसे जलयान का मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदूषण जांच सूची में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का हर समय पालन किया जाता है।

18. सबूत का भार :

यदि कोई तेल या प्रदूषक किसी जलयान के निकट या उसके आस-पास पाया जाता है तो यह साबित करने का भार कि इसका विसर्जन ऐसे जलयान से नहीं हुआ या उसने नहीं होने दिया तथा उस जलयान के मास्टर पर होगा।

19. मास्टर द्वारा अधिप्लावन को अधिसूचित करना :

जलयान का मास्टर अपने जलयान से या किसी अन्य जलयान से किसी तेल के अधिप्लावन या संदूषित जल के अधिप्लावन के होने के बारे में, यदि उसे ऐसे अधिप्लावन का पता चल जाता है तो वह सक्षम प्राधिकारी को शीघ्र अधिसूचित करेगा।

20. तेल का रात्रि में स्थानान्तरित न किया जाना :

कोई भी जलयान, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना, 6.00 बजे अपराह्न से 6.00 पूर्वाह्न के बीच तेल का किसी अन्य जलयान को स्थानान्तरण नहीं करेगा या अन्य जलयान से या किसी भी साधन द्वारा समुद्री किनारे की पाइपलाइनों (टर्मिनल के सिवाय) से तेल प्राप्त नहीं करेगा।

21. दस्तावेजों का सत्यापन या निरीक्षण :

जलयान का मास्टर, सत्यापन या निरीक्षण के लिए आई एम ओ सम्मेलन ———————— पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन जहाज पर रखे जाने के लिए अपेक्षित अथवा रखे गए सभी दस्तावेजों को, मांगने पर, सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

22. मास्टर द्वारा निरीक्षण करने देना और उसमें सहायता देना :

जलयान का मास्टर सक्षम प्राधिकारी को निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा और उसमें सहायता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जिसके अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिरोपित प्रतिषेध निर्बन्धन या बाध्यता का पालन हो।

23. जलयानों से कूड़े-कचरे का व्ययन :

(1) यदि किसी जलयान में पोत-फलक ——————— फिट नहीं किया गया है तो ऐसे जलयान का मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान के जब वह पत्तन में ठहरे, फलक घर का सारा कूड़ा-कचरा ऐसे ढके हुए ड्रमों में जिनके कब्जेदार ढक्कन हो या प्लास्टिक के आधानों में इकट्ठा किया जाए और प्रतिदिन ग्रहण-सुविधा तट पर ले जाया जाए।

(2) जहां ऐसे जलयान में पोत फलक मस्लक फिट हुआ है, ——— ऐसे जलयान का मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि न तो कूड़ा-कचरा फलक पर इकट्ठा होता है और न ही जलयान के डैक पर इधर-उधर बिखरा पड़ा रहता है।

24. छूट देने की शक्ति :—

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी आपवादिक परिस्थितियों में और उन कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जैसी वह अधिरोपित करने के लिए उचित समझे, किसी भी पोत को इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा से छूट दे सकेगा।

(नियम 11 देखिए)

किसी भी पत्तन पर तेल, आदि विसर्जित करने के लिए सूचना :—

उप संरक्षक,

(पत्तन का नाम) पत्तन न्यास टेलेक्स/केबल/टेलिफोन नं. :—जलयान (पोत का नाम) (आगमन का प्रत्याशित समय) के पोत का नाम——— (दिन)————(तारीख) स्थानीय अभिकर्ता (अभिकर्ता का नाम) (मात्रा विनिर्दिष्ट करें) तेलीय बैलास्ट। टैंक धोवन स्लज अपशिष्ट सल। कोई अन्य तेल, अर्थात् कच्चा, ईंधन तेल पेट्रोलियम उत्पाद आदि के लिए लंबाई अर्थ मरम्मत वर्ष के आगमन पर अनुरोध की ग्रहण सुविधा।

[पी आर.-16012 (1) 86-पी.डी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISRTY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 1990

G.S.R. 995(E).—The following draft of the Major Ports (Provention and Control of Pollution) Rules, 1990 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (e), (ee) and (eee) of sub-section (1) of the section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), is hereby published as required by sub-section (2) of the said section, for the infomation of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette is made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title, commencement and application;—(1) These rules may be called the Major Ports (Prevention and control of Pollution), Rules, 1990.

(2) They shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different Major Ports.

(3) They shall apply to all Major Ports.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908)

(b) "approved" means approved by the competent authority;

(c) "competent authority" in relation to a major port means the conservator appointed under section 7 of the Act or any other officer of a major Port appointed by the Board of Trustees of a Major Port;

(d) 'garbage" means all kinds of victual domestic and operational waste, generated during the normal operation of a ship and liable to be disposed of continuously or periodically except those substances which are defined or listed in Annexures I to IV to the IMO Convention;

(e) "detergent" means any chemical product used for cleaning tanks, bilges or any compartments containing oil residue;

(f) "IMO Convention" means the International Maritime Organisation Convention on prevention of Pollution by Ships 1973 as amended from time to time;

(g) "International Safety Guide" means the International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals published by the International Chamber of Shipping, Oil Companies International Marine Form and International Association of Ports and Harbours, as amended from time to time.

(h) "Manual on Prevention of Oil Pollution" means the manual on Prevention of Oil Pollution section I published by the International Maritime Organisation as amended from time to time;

(j) "Oil mixture" means a mixture with any oil content;

(k) "oil record book" means the book to be maintained by the master of a vessel, which shall be as set out in the IMO Convention;

(l) "pollutant" includes sewage, garbage, earth, ashes, stones, rubbish, waste material, refuse, chemicals or any other harmful noxious substance if it affects the nature, colour, smell or transparency of the water or if it forms visible floating fractions on water;

(m) "Polluting" means escape, discharge or throwing overboard of any oil or pollutant;

(n) "tanker" means a vessel in which greater part of the cargo space is constructed or adopted for the carriage of liquid cargos in bulk and which is not for the time being, carrying a cargo other than oil in that part of its cargo space,

(o) "terminal representative" means the person designated as such by the competant authority to take responsibility for an operation or duty;

(p) "terminal" means a place where tankers are berthed as moobed for purpose of loading or discharging oil;

(q) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Vessels not to discharge any pollution.—Subject to the provisions of rule 11, no vessel shall discharge, throw, place, empty or allow to leak or bow or to quay, jetty or pior or within the limits of a major Port any pollutant.

4. Vessels not to discharge ballast or oil mixture.—(1) No vessel shall discharge within the limits of a major Port any ballast or oil mixture the oil contents of which exceeds 15 parts per million.

(2) Any ballast or oil mxture the oil contents of which does not exceed 15 parts per million may be discharges with special permission in writing of the competent authority, subject to such terms and conditions as may be specified in the permit.

5. Simultaneous loading of oil and deballasting.—Where simultaneous loading of oil and deballasting are to be carried out the master of the vessel shall satisfy that there is an efficient separation between the loading pipeline and the ballast pipelines and the operation is conducted without polluting any waters within the limits of a Major Port.

6. Use of detergent prohibited.—No vessels shall use any detergents to clean bilges or oil tanks if the washings to be discharged overboard is otherwise than through an oil water separating equipment or an oil filtering equipment or poluts the water within the limits of a major port.

7. Tank washing not to be discharged overboard.—No vessel shall during oil tank cleaning operations or at any other time, discharge tank washings directly overboard.

8. Vessel not to discharge any oil.—No. vessel shall discharge or allow to escape any oil or any other derivative containing hydrocarbons within limits of a major port.

9. Oil bilge water not to be discharged.—No vessel shall discharge or allow to escape without written permission of the competent authority, oily bilge water or any mixture of bilge water with chemicals or any noxious substance within limits of a major port.

10. Vessel not to load etc. without observing precautions.—No vessel shall load discharge transport, bunker ballast or deballast within limits of a major port without observing

the precautions specified in the manual on Prevention of Oil Pollution and the International Safety Guide.

11. Notice for discharging oil, etc. at any major port.—Where a vessel has any oil, water or any pollutant to be discharges at any major port it shall give notice of at least twenty four hours in the form annexed to these rules to the competent authority requesting him to arrange appropriate reception facilities.

12. Sea Valves connected with oil cargo pipe lines to be tightly closed during the stay in port.—The master of a vessel shall ensure that all sea valves and overboard valves connected or capable of being connected to the oil cargo pipeline are tightly closed, lashed and sealed during the stay of the vessel in a major port and no such valves shall be operated for any purpose by him without the prior permission of the competent authority and making proper entry in the oil record book of the vessel.

13. Vessel bunkering.—No vessel shall bunker in a major port by pipelines barges, tanker lorries or by any other means without the prior written permission of the competent authority obtained atleast three hours before initiating bunkering operation.

14. Inspection and use of cargo and bunker hoses.—The master of a vessel and the terminal representative shall jointly ensure that the cargo and bunker hose to be connected to the vessel are of approved type and quality having valid test certificate for use on date and the master shall be responsible for any pollution caused due to bursting of cargo or bunker hose.

15. Hoses to be blanked.—Before hoses are removed from any vessel, the Master of the vessel shall ensure that the ends thereof are properly banked.

16. Safety Check list.—On arrival of a vessel in a mojor port, the master of such vessel shall comply, jointly with the terminal representative with the safety check list required under the International Safety Guide and the competent authority shall, if he is satisfied that the provisions of the said check list have been complied with permit the master of the vessel to commence cargo operation.

17. Pollution check Lists.—Every vessel shall maintain a pollution check list as specified in the Manual on Prevention of oil pollution and the Master of such vessel shall ensure that the procedure specified in the pollution check list are complied with at all times.

18. Onus of proof.—If any oil or pollutant is found floating near or around a vessel the onus of proving that it was not discharged or allowed to escape from such vessel shall be on the Master of the vessel.

19. Master to notify spillage.—The master of a vessel shall notify the competent authority immediately the occurance of any oil spillage or contaminated water spillage from his own vessel or from any other vessel, if such spillage comes to his notice.

20. Oil not to be transferred during night.—No vessel shall between 6.00 P.M. and 6.00 A.M. transfer oil to another vessel or receive oil from another vessel or from shore pipelines (except at terminals) by any means without prior permission inwriting of the competent authority.

21 Verification or inspection of documents—The master of a vessel shall make available on demand to the competent authority all documents required to be maintained or kept on board by IMO Convention of by the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) for verification or inspection.

22. Master to allow and to assist inspection.—The master of a vessel shall allow on board and assist the competent authority to inspect and ensure that the prohibition restriction or obligation imposed by any order or rules made thereunder are complied with.

23. Disposal of garbage from vessels.—(1) If any vessel is not fitted with ship-board incinerator the master of such vessel shall ensure that all garbage on board the vessel are collected in covered drums with hinged lids or plastic containers and removed ashore to the reception facility every day while it remains in the Port.

(2) Where such vessel is fitted with shipboard incinerator the master of such vessel shall ensure that garbage is neither accumulated on board nor kept lying loose on the decks of the vessel.

24. Power to exempt.—Notwithstanding anything contained in these rules, the competent authority may in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writting by order in writ'ng and upon such conditions, if any, as it may think fit to impose, exempt any ship from any requirements specified in these rules.

FORM

(See rule 11)

Notice for Discharging oil etc. at any port :
The Deputy Conservator,

(Name of the Port) Port Trust,
Telex|Cable|Telephone Number.

Vessel (Name of the ship) (Expected, time of arrival) (Name of the Port) on (Day) the (Date) Local Agents Name of the Agents) Request Reception Facility on arrival at Loading berth|repair berth for (Specify the quantity) Oil ballast|tank dashing/sludge/waste oil/any other oil e.g. crude, fuel oil, petroleum products etc.

[PR-16012/186/PG]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

3598 GI/90

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Contorller of Publications, Delhi-110054, 1991